

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी संबंधित सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 18-12-2017

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹6,50,31,919/- (छः करोड़ पच्चास लाख एकतीस हजार नौ सौ उन्नीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-19(7)ब दिनांक-15.05.17, 50(7)ब दिनांक-24.08.17 एवं 79(7)ब दिनांक-25.09.17 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में वेतन भत्ते मद एवं अन्य मदों में कुल ₹6,50,31,919/- (छः करोड़ पच्चास लाख एकतीस हजार नौ सौ उन्नीस) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।
3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र-0003-स्वास्थ्य उपकेन्द्र विपत्र कोड- 20-2210031010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-2018 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में कार्यरत बल के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को नियमित व्यय हेतु उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबाबदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।
9. स्थायी पद के विरुद्ध नियुक्त कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
10. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।


1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन, /



(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव
रजित

ज्ञापांक : 115(7)0

पटना, दिनांक : 18-12-17

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7 एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।


18/12/17
सरकार के विशेष सचिव
रजित

विवरणी-I

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में बिहार स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र उपशीर्ष विपत्र कोड सं0-2210031010003 का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01-01)	जीवन यापन भत्ता (01-03)	मकान भत्ता (01-04)	चिकित्सा भत्ता (01-06)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा भत्ता (11-01)	कुल	अभ्युक्ति
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	भोजपुर	2500000	2750000	750000	75000	6075000	0	0	6075000	3409/11.11.17
2	रोहतास	310000	341000	93000	9300	753300	0	0	753300	2532/1.11.17
3	मधुबनी	7200000	7920000	2160000	11000	17291000	0	100000	17391000	2637/2.11.17
4	लखीसराय	600000	660000	180000	18000	1458000	0	5000	1463000	1356/6.11.17
5	गया	4000000	4400000	1200000	120000	9720000	0	0	9720000	3875/20.11.17
6	मुजफ्फरपुर	8000000	8800000	2400000	240000	19440000	182319	0	19622319	3404/25.11.17, 2915/9.10.17
7	जहानाबाद	3000000	3300000	900000	90000	7290000	0	10000	7300000	2234/24.10.17
8	जमुई	480000	528000	144000	14400	1166400	0	10000	1176400	2449/22.9.17
9	किशनगंज	330000	363000	99000	9900	801900	0	0	801900	2389/22.11.17
10	नवादा	300000	330000	90000	9000	729000	0	0	729000	3191/27.11.17
	कुल	26720000	29392000	8016000	596600	64724600	182319	125000	65031919	

(छ: करोड़ पच्चास लाख एकतीस हजार नौ सौ उन्नीस) रु0 मात्र

115(4)A

18-12-17

(Handwritten Signature)

सरकार के विशेष सचिव

(Handwritten Signature)

18/12/17

उपबंध की स्थिति विपत्र कोड सं0-2210031010003

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0003-01-01)	163654000	129260000	26720000	155980000	7674000
1			171523800	29392000	200915800	1714200
2	जीवन यापन भत्ता (0003-01-03)	202630000	18096400	8016000	26112400	1843600
3	मकान किराया भत्ता (0003-01-04)	27956000	3876800	596600	4473400	1286600
4	चिकित्सा भत्ता (0003-01-06)	5760000	322757000	64724600	387481600	12518400
	योग 20-2210.03.101.0003.01 वेतन	400000000	322757000	64724600	387481600	12518400
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0003-06-01)	1900000	136597	182319	318916	1581084
6	यात्रा व्यय (0003-11-01)	600000	265000	125000	390000	210000
7	विधि प्रभार (0003-13-05)	1000	0	0	0	1000
8	किराया महसूल एवं कर (0003-14-01)	2500000	300000	0	300000	2200000
9	प्रशिक्षण व्यय (0003-20-03)	3000000	0	0	0	3000000
10	अनुरक्षण एवं मरम्मत(0003-27-02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:-	408002000	323458597	65031919	388490516	19511484

115(7)A

18-12-17

सरकार के विशेष सचिव

का

18/12/17